

श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी रानीगंज-बलिया

(सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)

प्रवेश आवेदन, शैक्षणिक सत्र-2023-24



प्रवेश विवरणिका
Admission Brochure

(Website-<https://ssbpgc.com>)

श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया, पिन कोड -277208

प्रवेश आवेदन सम्बन्धित नियम एवं निर्देश 2023-24

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के निर्देशन में नई शिक्षा नीति (2020) के क्रम में प्रवेश नियमावली के अनुसार महाविद्यालय के प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होगी तथा प्रवेश समिति के निर्णय एवं निर्देश अभ्यर्थी (छात्र/छात्राओं) द्वारा मान्य किया जायेगा।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रायें ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन महाविद्यालय की बबेसाइट www.ssbpgc.com से करेंगे।
3. प्रवेश आवेदन भरने के पूर्व छात्र/छात्रायें दिशा-निर्देश को आवश्यक पढ़ें।
4. वर्ष 2021 के पूर्व इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रायें स्नातक कक्षा में सत्र-2023-24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे तथा वर्ष 2021 के पूर्व स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातकोत्तर कक्षा में सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। सूच्य है कि स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में ऑनलाईन प्रवेश फार्म भरने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नवत् है -

- ☞ नवीन फोटो।
- ☞ आधार कार्ड।
- ☞ छात्र/छात्रा का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल।
- ☞ अभिभावक का मोबाईल नम्बर।
- ☞ हाई-स्कूल का अंकपत्र।
- ☞ इण्टरमीडिएट का अंकपत्र एवं स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु बी.ए. तृतीय वर्ष का अंक पत्र।
- ☞ आरक्षण हेतु अधिकृत प्रमाण-पत्र (EWS, SC, & ST)।

5. ऑनलाईन प्रवेश फार्म भरते समय जो भी सूचनाएँ दी जाये वे सत्य हो अन्यथा भविष्य में महाविद्यालय प्रवेश समिति को यदि आप द्वारा दी गयी सूचनाओं के गलत/भ्रामक पाये जाने पर शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश निरस्त हो जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र एवं छात्रा की होगी।



6. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को स्वीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश सीट एवं विषयों के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।

7. छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में स्नातक स्तर के अन्तर्गत स्वीकृत विषय-हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान, विषयों के अन्तर्गत नई शिक्षा नीति के आधार पर अथ्यर्थी द्वारा चयनित विषयों तीन मेजर एवं एक माईनर विषय के चयन करेंगे तथा उक्त विषय चयन में मेजर एवं माईनर विषय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, और उर्दू में से किसी एक विषय चयन करना अनिवार्य होगा।

8. महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर सम्पन्न कि जायेगी तथा स्नातक स्तर पर विषय में परिवर्तन भी मेरिट के आधार पर किया जायेगा, जो अभ्यर्थी द्वारा मान्य होगा।

9. आराक्षण का लाभ उन्ही छात्र/छात्राओं को देय होगा जो ऑनलाईन फार्म भरते समय सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलोड किये रहेंगे।

10. महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित मेरिट सूची में नामांकित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित छात्र/छात्राएँ प्रवेश फार्म में प्राप्त पंजीकरण संख्या के आधार पर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से मेरिट सूची में निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर ही शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि विस्तार नहीं कि जायेगी। सूच्य है कि प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर का शुल्क एक साथ ही जमा करना होगा।

11. प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित छात्र/छात्राएँ अपना आवेदन पत्र के साथ 1-नवीन फोटो 2- आधार कार्ड 3- हाई-स्कूल का अंकपत्र 4- इण्टरमीडिएट का अंकपत्र एवं स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु बी.ए. तृतीय वर्ष का अंक पत्र 5-आरक्षण हेतु अधिकृत प्रमाण-पत्र (EWS, SC, & ST) 6-जमा शुल्क रसीद और 7- मूल टी0सी0 के साथ महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथियों के अन्दर जमा करेंगे। अन्यथा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये वे स्वयं के जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

12. अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सम्पूर्ण सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सूच्य है कि अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये सम्पूर्ण सूचनाओं के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

13. प्रवेश के अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट सूची महाविद्यालय के बेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी तथा महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी।

14. छात्र/छात्रायें प्रवेश एवं अन्य सम्बन्धित समस्त सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की बेबसाइट एवं महाविद्यालय परिसर के सूचनापट्ट का निरन्तर अवलोकन करें।

नोट- एम0ए0 मनुविज्ञान, हिन्दी एवं समाजशास्त्र प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया बी0ए0 तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होगा। जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालय की सूचना पट्ट पर दे दी जायेगी।

सुविधाएँ :-

- ➡ महाविद्यालय में रेमीडियल कक्षाएँ
- ➡ समृद्ध पुस्तकालय
- ➡ आनलाइन कक्षाओं के संचालन की सुविधा उपलब्ध है।
- ➡ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन, तर्कशक्ति व अन्य मार्गदर्शन योग्य शिक्षकों द्वारा दिया जाता है।
- ➡ निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। (नियम व शर्त)
- ➡ छात्रवृत्ति व शुल्क माफी सुविधा। (नियम व शर्त)



प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. अनुसूचित जाति के लिये **21%**, अनुसूचित जन जाति के लिये **02%** तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए **27%** स्थान आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

2. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

(क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण हास एवं चालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय संघात) के लिए पृथक-पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 04 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता **60%** या **60%** से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(ग) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीटों में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

3. अधिभार (Weightage) के नियम:

विवरण	भारौंक
राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिभार दिया जायेगा:—	
1. एकल प्रतियोगिता	15
2. समूह प्रतियोगिता	10
3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अर्न्तमहाविद्यालयीय टूर्नामेंट या क्रीडा या खेलकूद प्रतियोगिता	10
नेशनल कैडिट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
1. नेशनल कैडिट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15

या	
2. नेशनल कैंडिड कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
या	
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को	15
या	
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को	10
या	
5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05
या	
6. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
या	
7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
या	
8. स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	10
1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या अविवाहित पुत्री को 2. ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी से पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो। 3. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 या होमगार्ड में सेवारत हो या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए) 4. ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तकालशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

नोट: अधिकतम अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।

प्रवेश नियमावली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के क्रियान्वयन हेतु 'च्चाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) एवं 'न्यूनतम समान पाठ्यक्रम' पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम की रूपरेखा

1. परिभाषाएँ—

1.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि।

1.2 संकाय (Faculty)

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है, यथा—कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक: 15.06.2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा, किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की प्रदान की जायेगी।

1.2.3 विश्वविद्यालय में संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था का गठन निम्नवत है:—

(1) Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. अंग्रेजी (English)
2. हिन्दी (Hindi)
3. संस्कृत (Sanskrit)
4. उर्दू (Urdu)

(2) Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति (Ancient History, Archaeology & Culture)
2. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) (History- Medieval & Modern History)
3. भूगोल (Geography)
4. रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन (Defence & Strategic Studies)
5. राजनीति विज्ञान (Political Science)
6. दर्शनशास्त्र (Philosophy)

Faculty of Vocational Studies (व्यावसायिक अध्ययन संकाय)

- 1- Advertising, Sales Promotion and Sales Management
- 2- Agribusiness management
- 3- Airline, Tourism and Hospitality Management
- 4- Analytical Instrumentation.
- 5- Community Sciences(Home sciences)
- 6- Dairy technology
- 7- Foreign Trade Practices and Procedures.
- 8- Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology

1.3 कास/पपर/प्रश्नपत्र (Course/ Paper)

- 1.3.1 एक विषय के विभिन्न सैद्धांतिक/प्रायोगिक कार्यक्रमों के पेपर को कोर्स /पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 1.3.2 सैद्धांतिक और प्रायोगिक के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

2. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारिणी

- 2.1 तीन विषयों वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों (बी०ए०, बी०एस-सी० व बी०काम०) में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।
- 2.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होंगा।
- 2.3 बी०ए०/बी०एस-सी० आनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू।
- 2.4 Ph.D कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

3. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

- 3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक वह अध्ययन कर सकता है।
- 3.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है, अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 3.4 छात्र को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में संचालित विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन कर सकता है, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6, क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 3.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिए किसी भी Pre-Requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 3.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक विषय, अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।
- 3.9 विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (स्नातक) तथा स्नातकोत्तर में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

3.10 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

3.11 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संचालित विषयों के प्रश्नपत्रों में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

4. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

4.1 स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

5. सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।

5.2 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। इसमें कोई कृपांक देय नहीं होगा। विद्यार्थी की ग्रेड सीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5.3 स्नातक स्तर के विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में लिये जाने वाले सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) निम्नवत है :-

स्नातक प्रथम सेमेस्टर – खाद्य एवं पोषण (Food and Nutrition)

स्नातक द्वितीय सेमेस्टर-प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Health And Hygiene)

स्नातक तृतीय सेमेस्टर-शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)

स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर – मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

स्नातक पंचम सेमेस्टर – विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Disital Awereness)

6. शोध परियोजना (Research Project)

- 6.1 स्नातक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को तीसरे वर्ष (पांचवे एवं छठे सेमेस्टर) में लघु शोध एवं पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- 6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना अन्तर्आनुशासनात्मक (Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 6.4 विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की संयुक्त रिपोर्ट/प्रतिवेदन (Report / Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में किया जायेगा।
- 6.5 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांक पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 6.6 स्नातक (शोध सहित) के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 7.1 सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा।
- 7.2 प्रायोगिक (Practical)/ इन्टर्नशिप/फील्डवर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घण्टे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घण्टे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।

- 7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चारवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0 आर0 ले सकता है।
- 7.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 7.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है, तो छात्र को न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अन्तराल की सुविधा होगी, परन्तु उसे डिग्री 03 वर्ष बाद ही मिलेगी। अन्तराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 7.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 7.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 7.9 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.10 यदि कोई छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

- 8.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 8.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 8.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. प्रवेश परीक्षा तथा समय-सारिणी

- 9.1 सभी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होने से पूर्व अपनी समय-सारिणी (TimeTable) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें, जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- 9.2 सभी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय समय-सारिणी ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

10. परीक्षा व्यवस्था

- 10.1 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में साफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- 10.2 सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 25 प्रतिशत अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा:-
 - 5 प्रतिशत अंक छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति से सम्बन्धित होंगे।
 - 5 प्रतिशत अंक छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट-प्रेजेंटेशन से सम्बन्धित होंगे।
 - 15 प्रतिशत अंक छात्र के मिड-सेमेस्टर क्लास-टेस्ट से सम्बन्धित होंगे।
- 10.3 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय के आधार पर होगी।

01. ग्रेड प्रणाली

नवीन व्यवस्था के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0ए0 / एम0एस-सी0 / एम0काम0) में ग्रेड प्रणाली लागू होगी। ग्रेड की व्यवस्था निम्न तालिका के अनुसार होगी:-

ग्रेड अक्षर	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड प्वाइन्ट
O	Outstanding	91-100	10
A ⁺	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B ⁺	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	36-40	4
F	Fail	0-35	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		



02. उत्तीर्ण प्रतिशत

- 2.1 सभी मुख्य एवं माइनर कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 36 प्रतिशत ही रहेगा।
- 2.2 सभी मुख्य तथा माइनर कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) की मुख्य परीक्षा 100 पूर्णांक के लिये होगी। अंकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय(बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जायेगी। शोध परियोजनाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 2.3 मुख्य एवं माइनर कोर्स/पेपर(थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु :-

(अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे।

तथा

(ब) आन्तरिक एवं विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में कुल मिलाकर 100 में से न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

- 2.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत निर्धारित नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य/विश्वविद्यालयी परीक्षा में न्यूनतम 36 अंक (मुख्य एवं माइनर विषयों में) मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- 2.5 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

03. कक्षोन्नति(प्रमोशन)

- 3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषय सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषय सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।
- 3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषय सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी:-
- (क) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट के न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिये हों। परन्तु, द्वितीय सेमेस्टर के कुल क्रेडिट का भी न्यूनतम 25 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ख) 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे, जैसे कि- 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जायेगा।

04. बैक पेपर अथवा अंक सुधार परीक्षा

- 4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) परीक्षा नहीं होगी। केवल सम्पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालयी परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षाएँ एक साथ नहीं दे सकेगा।
- 4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार की सुविधा सम सेमेस्टर की सम सेमेस्टर में तथा विषम सेमेस्टर की विषम सेमेस्टर के साथ ही उपलब्ध होगी।
- 4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम वही होगा, जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- 4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा अंक सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय(बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक, चाहे कितनी ही बार दे सकता है।

05. समयवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।

व्याख्या— यदि कोई विद्यार्थी सततता में दोनों वर्षों की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष मिलेंगे। किन्तु, यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष पूर्ण कर स्नातक (शोध) की उपाधि लेकर चला जाता है, तो वह द्वितीय वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के लिये 3 वर्ष मिलेंगे।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या-4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :-

क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0-एल0एल0बी0, बी0एस0सी-एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड.) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी.-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

स्नातकोत्तर में प्रवेश व विकास-

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना-

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0थी0सी0एरा0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।

जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।

- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेंगे।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद् शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन (पूर्णांक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं। प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 में दिये गये हैं।

पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री0-पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6-6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित कराये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली-2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/ CGPA होंगे।
- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या-69/सत्तर-1-2022 दिनांक 06-01-2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बना सकते हैं।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-401/सत्तर-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 09 फरवरी, 2022

- 1- कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021-22 तथा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021-22 में लागू कर दिए गए हैं।

2- पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी०एच०डी० स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन्हें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-401/सत्तर-3-2022-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
- 3- प्रो० हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
- 4- डॉ० दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।